इस्लाम, औरत और पर्दा

मुफ़्ती अबदुर्रहीम नश्तर फ़ारूक़ी

हुस्न को एहतियात लाज़िम है
हर नज़र पारसा नहीं होती

नाशिर
इदारा माहनामा सुन्नी दुनिया
82, सौदागरान, दरगाह आला हज़रत, बरेली शरीफ़

इस्लाम, औरत और पर्दा

अज़

खलीफ़ए हुजूर ताजुश्शरीआ हज़रत

मुफ़्ती अबदुर्रहीम नश्तर फ़ारूकी

एडीटर माहनामा सुन्नी दुनिया, बरेली शरीफ़

नाशिर

इदारा माहनामा सुन्नी दुनिया

82, सौदागरान, दरगाह आला हज़रत, बरेली शरीफ़

औरत की हक़ीक़त

हमारे यहाँ लफ़्ज़े "औरत" मर्द की तानीस या मादा के तौर पर इस्तेमाल होता है जबकि अरबी ज़बान में "छुपाने "कि चीज़ को "औरत" कहते हैं, दरअस्ल ख़ालिक़े कायनात जल्ला शानहु ने औरत की पैदाइश ही इस तौर पर फरमाई है जो उससे खुद को छुपाने का तक़ाज़ा करती है, हिजाब की यही कुदरती आदत उसे शर्म व हया पर मजबूर करती है जिसके सबब वह शऊरी और लाशऊरी तौर पर भी अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश करती नज़र आती है, शर्म व हया कि यह फितरत औरत के लिए "औरत" बनी रहने में बड़ी मुआविन साबित होती है।

औरत हमारे मुआशरे में बीवी, बहन और माँ जैसे कई तकद्दुस मआब रिश्तों की हामिल है और हर रिश्ते में यह लाइक़े ताज़ीम व तकरीम है, लेकिन तारीख़ बताती है कि यह औरत इस्लाम से क़ब्ल सारी दुनिया में मज़लूमी और महकूमी का शिकार रही है, वह अज़ीयत और ज़िल्लत का बोझ उठाए तारीकियों में भटकती रही है, कहीं सिर्फ़ औरत होने के सबब उसे ज़िन्दा दफ़न कर दिया गया तो कहीं शौहर की मौत पर उसे भी शौहर के साथ ज़िन्दा जला दिया गया, कभी मामूली चीज़ की तरह बाज़ारों में बेचा और खरीदा गया, कभी उसे शैतान की एजेंट और फित्ना व फसाद का मुजस्समा कहा गया, तो कभी उसे मआसियत और बदी की जड़ क़रार दिया गया, कहीं उसे नापाक, मकरूह और मनहूस कहा गया, तो कहीं उसे तीन क़िस्म की शराबों में सब से ज़्यादा नशीली और सात मुहलिक ज़हर में सबसे ज़्यादा ज़हरीली करार दिया गया, ग़र्ज़ कि बहैसियते इंसान उसे उसके हर जायज़ मक़ाम और हर वाजिब हुकूक़ से हमेशा महरूम रखा गया।

जबकि औरत एक नाज़ुक शीशा और क़ीमती आबगीना है, उसे बड़ी तवज्जोह और मुहब्बत व मुरव्वत की ज़रूरत है, चुनान्चे इस्लाम ने उसकी इज्ज़त व अज़मत और मक़ाम व मरतबा की हिफ़ाज़त का खुसूसी एहतिमाम किया, इस्लाम ने औरतों को वह हुकूक दिए हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, इस्लाम ने

औरतों के मुख़्तलिफ़ हैसियतें मुतअय्यन कीं और उनकी अदायगी को अपने तमाम मानने वालों पर लाज़िम क़रार दिया।

माँ की हैसियत से इस्लाम ने जन्नत को औरत के क़दमों में रख दिया और औलाद को ताकीद की कि माँ बाप के सामने उफ़ तक ना कहा जाए, बीवी को बाइसे सुकून व राहत करार दिया और शौहर पर यह लाज़िम किया कि वह अपनी बीवी के हर मुमकिन आराम व आसाइश का ख़्याल रखे, उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें घर के अन्दर मुहय्या करे, बहनों को गैरत व हमीय्यत का निशान बनाकर भाईयों को पाबंद किया कि वह इस पाकीज़ा रिश्ते के तमाम हुकूक़ अदा करें।

लिबास और उसका मक़सद

इंसान और हैवान में जो सब से वाज़ेह फर्क़ है, वह है लिबास का! लिबास उर्फ़े आम में उस पहनावे को कहते हैं जो इंसानी जिस्म ढॉपने और उसे मौसमी असरात से महफ़ूज़ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिबास इंसान की फितरी ज़रूरत और बक़दरे सत्रपोशी फर्ज़ है, जिसका मक़सद सत्रपोशी के साथ साथ ज़ेब व ज़ीनत भी है, इस लिए लिबास ऐसा ज़रूर होना चाहिएं, जिससे मुकम्मल सत्रपोशी हो सके और जो बाइसे ज़ीनत भी हो, लिबास में यह दो खुसूसियात लाज़िमी तौर पर होनी चाहिएं वरना वह लिबास लिबास नहीं है, लिबास अगर ऐसा हो जो सत्रपोशी तो करे मगर बदनुमां, बद्बूदार और मैला कुचैला हो जिसके सबब देखने वाला कराहत महसूस करे तो वह लिबास नहीं और अगर लिबास ऐसा हो जो बेशकीमत तो हो मगर सत्रपोशी ना कर सके तो वह लिबास भी कोई लिबास नहीं, चुनान्चे हज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है:

> "हुज़ूरे अकदस (सल्लल्लाहो अ़लैहि वसल्लम) ने इरशाद फरमाया के: दो जहन्नमी गिरोह ऐसे हैं जिनको मैनें अब तक नहीं देखा, एक वो लोग जिनके पास गाय कि दुम की तरह कोड़े होंगे, जिनके ज़रिए वह लोगों को मारेंगे दूसरी वह औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी (ना महरम मर्दों को) अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी और खुद भी (उनकी तरफ) माइल होंगी, उनके सर बुख़्ती ऊँटों के झुके हुए कोहानों की तरह होंगे, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल ना

होगी और ना ही जन्नत की खुश्बू सूघेंगी, हालांकि जन्नत की खुश्बू तो इतनी इतनी दूर से सूंघी जाती है''।

(सहीह मुस्लिम, हदीस नं0 5704)

लिबास पहनने के बावजूद नंगी होने का मतलब यह है कि या तो लिबास इस क़द्र छोटा होगा जिससे सत्र पोशी ना होगी, या इस क़द्र चुस्त होगा जिससे जिस्म कि हैअत ज़ाहिर होगी, या इस क़द्र बारीक होगा जिससे जिस्म झलकता होगा, इस हदीसे पाक से वह औरतें दर्से इबरत हासिल करें जो फैशन के नाम पर जिस्म को दिखाने वाले बारीक, चुस्त या छोटे लिबास पहनती हैं।

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बा हया पैदा फ़रमाया है, हया इंसानी ख़ास्सा है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम को जहाँ बे शुमार औसाफ़ व कमालात से सरफ़राज़ फ़रमाया, वहीं आपको ''हया'' जैसा वस्फ़ भी अता फ़रमाया है जिसे आपने ईमान का एक हिस्सा क़रार दिया, चुनान्चे इरशाद फरमाते हैं:

''ईमान की साठ से ज़्यादा शाखें हैं और हया भी ईमान की एक शाख़ है। (बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1/सफा 6)

हदीसे पाक से ये अम्र साफ़ वाज़ेह हो गया कि ''हया'' ईमान का एक अहम हिस्सा है तो ज़ाहिर है कि बे हयाई ईमान का हिस्सा नहीं है, जो लोग बे हयाई और बेपर्दगी में मुलव्विस हैं वह अपने ईमान व अमल को कमज़ोर करने के साथ साथ अपने मुआशरे को भी बुराईयों की आमाजगाह बना रहे हैं, जब तक इंसान शर्म व हया के हिसार में रहता है, ज़िल्लत व रुसवाई से महफ़ूज़ रहता है और जब वह इस हिसार से आज़ाद हो जाता है तो उसे ज़िल्लत व रुसवाई का काम भी इज़्ज़त व अज़मत वाला लगने लगता है, यही वजह है कि नबीए करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने इरशाद फरमाया :

''जब तुझ में हया बाक़ी न रहे तो फ़िर जो चाहे कर''

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2/सफा 470/हदीस नं0 3484)

पर्दा कुरआन व हदीस की रौशनी में

अल्लाह अलीम व ख़बीर ने मुसलमानों के लिए जो एहकामात सादिर फ़रमाए हैं, उनमें एक हुक्म ''पर्दे'' या ''हिजाब'' का भी है और यह हुक्म मर्द व औरत दोनों के लिए यकसाँ है, पर्दे

का हुक्म सन् 4 हिजरी में नाज़िल हुआ ,जिस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रते ज़ैनब बिन्ते जहश रदियल्लाहु तआला अन्हा काशानए नबुव्वत में रूख्सत होकर तशरीफ़ लाईं, पर्दे की एहमीयत व इफ़ादियत का अन्दाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके तअल्लुक़ से सात आयाते कुरआनिया और सत्तर अहादीसे मुबारका वारिद हैं, चुनान्चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले मुसलमान मर्दों को पर्दे का हुक्म देते हुए इरशाद फ़रमाया:

"(ऐ महबूब) मुसलमान मर्दों को हुक्म दो, अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें, यह उनके लिए बहुत सुथरा है, बेशक अल्लाह को उनके कामों की ख़बर है।" (सुरए नूर, आयत नं० 30/तरजमा कनजुल ईमान)

इसके बाद मुसलमान औरतों के लिए यूँ इरशाद हुआ:

"(ऐ महबूब) मुसलमान औरतों को हुक्म दो, अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफ़ाज़त करें और अपना बनाव ना दिखाएं मगर जितना खुद ही ज़ाहिर है और दुपट्टे अपने गिरेबानों में डाले रहें।"

(सूरए नूर, आयत 31/तरजमा कन्जुल ईमान)

अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतह्हरात को भी पर्दे का हुक्म देते हुए एक मक़ाम पर यूँ इरशाद फ़रमाया:

"ऐ नबी! अपनी बीवियों और साहबज़ादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमादो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुँह पर डाले रहें, यह उससे नज़दीक तर है कि उनकी पहचान हो तो सताई ना जाऐं और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है।" (सूरए अहज़ाब, आयत नं० 59/तरजमा कन्जुल ईमान)

पर्दे से मुतअल्लिक़ अहादीसे करीमा में भी सराहत के साथ इरशादात वारिद हैं, सहाबियात ने किस तरह पर्दा किया और अपने जिस्म के किस किस हिस्से का पर्दा किया, हदीस में इसका तफसीली ज़िक्र मौजूद है, चुनान्चे हज़रते सफिया बिन्ते शीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रते आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती थीं:

"जब यह आयत नाज़िल हुई (और वह अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पर डाल कर रखें) तो उन औरतों ने अपने नीचे

बंधी चादरों को किनारों से दो हिस्सों में फाड़ लिया और उससे अपने सरों और चेहरों को ढांप लिया।"

(सहीह बुख़ारी, हदीस नंम्बर 1448)

अकाबिरीने उम्मत फ़रमाते हैं कि मज़कूरह आयत सुनकर सहाबियात ने अपनी चादरों को दो हिस्सो में फाड़ कर एक हिस्से को अपने सरों और गिरेबानों पर इस तरह ओढ़ लिया कि उनके चेहरे भी छुप गए और सीने भी मस्तूर रहे, इससे साफ़ वाज़ेह होता है कि इस आयत में जो पर्दे का हुक्म है उससे जुमला अज़्वाजे मुतह्हरात और तमाम सहाबियात ने जिस्म के दीगर हिस्से के साथ साथ चेहरे का भी पर्दा लाज़िम व ज़रूरी समझा, ज़ाहिर है कि वह हमसे ज़्यादा किताबुल्लाह की गर्ज़ व ग़ायत को समझने वाली और उस पर ईमान लाने वाली थीं, क्योंकि उन्होंने बराहे रास्त सरकारे दो आलम (सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि वसल्लम) से दीने मतीन सीखा था, चुनान्चे हज़रते सफ़िया बिन्ते शीबा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि हम हज़रते आयशा सिददीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा के पास थीं कि उन्होंने क़ुरैश की ख़्वातीन और उनके फ़ज़्ल व कमाल का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया:

"बिलाशुब्हा क़ुरैश की औरतों का बड़ा मक़ाम व मर्तबा है, लेकिन अल्लाह की क़सम मैंने उन्हें अन्सार की औरतों से अफज़ल नहीं देखा: वह किताबुल्लाह की बहुत ज़्यादा तस्दीक़ करने वाली और अल्लाह के अह्काम पर बहुत ज़्यादा ईमान रखने वाली थीं, जब सुरए नूर की ये आयत (और वह अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबानों पर डाल कर रखें) नाज़िल हुई तो उन के मर्द हज़रात उनकी जानिब सुरए नूर की यह आयत तिलावत करते हुए लौटे और अपनी बीवियों, बेटियों, बहनों और हर रिश्तेदार ख़्वातीन को यह कुरआनी आयात पढ़कर सुनाई, तो हर एक औरत ने उन आयात की तस्दीक़ करते हुए और उन पर ईमान लाते हुए अपनी धारीदार चादर निकाली और उससे अपना सर और मुंह छुपा लिया, सुबह के वक़्त तमाम औरतें बा पर्दा और बा हिजाब होकर रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पीछे नमाज़े फ़ज्र अदा कर रही थीं गोया कि उनके सरों पर सियाह परिन्दें हों।"

(सुनन अबु दाउद, हदीस नं0 4102)

बहन भाई होना और है, समझना और!

आज कल कुछ लोग ये भी कहते नज़र आते हैं कि साहब हम तो फुलाँ को अपनी बहन, बेटी और माँ की तरह समझते हैं, उनका हमारा क्या पर्दा? या जो औरतें यह कहती हैं कि हम तो फुलाँ को अपना बाप, भाई या बेटा तसव्वुर करती हैं, भला बाप, भाई और बेटे से भी कोई पर्दा करता है? उन्हें ये हक़ीक़त ज़ह्न.नशीन कर लेनी चाहिये कि किसी का बाप, भाई और बेटा या किसी की माँ, बहन और बेटी समझना अलग बात है और हक़ीक़त में ऐसा होना अलग बात!

ऐसे लोग सहाबए किराम और उम्महातुल मोमिनीन के तरज़े अमल से दर्से इब्रत हासिल करें और गौर व फिक्र करें कि क्या हमारी औरतें अज़्वाजे मुतह्हरात जैसी पाकीज़ा और इफ्फत मआब ख्वातीन से ज़्यादा पाकीज़ा हैं? क्या हमारे मर्द सहाबए किराम जैसे पाकबाज़ मर्दाने खुदा से ज़्यादा पारसा हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्या उम्महातुल मोमिनीन इन रिश्तों कि अहमियत को नहीं समझती थीं? क्या सहाबए किराम उम्महातुल मोमिनीन को अपनी माएँ नहीं तसव्वुर करते थे? यक़ीनन करते थे लेकिन उन्हें आज के नाम निहाद रौशन ख़्याल मुसलमानों के लिए नज़ीर बनना था, देखिये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रदियल्लाहु तआला अन्हा) क्या फरमा रही हैं:

> "क़ाफिले हमारे पास से गुज़रते थे और हम बहालते एहराम नबी अकरम (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) के साथ सफ़रे हज में होते थे तो जब क़ाफ़िले के लोग हमारे क़रीब आते तो हम अपनी चादर सर से चेहरे पर लटका लेते थे और जब क़ाफिले आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरे खोल लेते थे।"
>
> (सुनन अबु दाउद, जिल्द 1 स: 254)

इसी तरह अज़्वाजे मुतह्हरात जब अपने वालिदेन वगैरह से मुलाकात के लिए काशानए नुबुव्वत से निकलतीं या अज़ीज़ो अक़ारिब की बीमार पुर्सी और ताज़ियत वगैरह में जातीं तो मुकम्मल परदे का ऐहतिमाम रखती थीं, यही अमल सहाबए किराम की औरतों का भी था कि जब बवक्ते ज़रूरत अपने घरों से बाहर निकला करतीं तो मोटी लम्बी चादरें लपेट कर निकला करती थीं, देखा आप ने! उम्मत की पाकीज़ा तरीन ख्वातीन पर्दे का किस क़द्र

ऐहतिमाम फरमा रही हैं और एक हम और हमारी ख्वातीन हैं जिन्हें परदा "कैद व बन्द, दक़्यानूसी" और "राह तरक़्क़ी" में "सद्दे राह" नजर आता है, तुफ है।

हुस्न को एहतियात लाज़िम है
हर नज़र पारसा नहीं होती

किन से परदा और किन से नहीं?

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि "औरत" कहते ही ऐसी चीज़ को हैं जो छुपा कर रखी जाए, यही वजह है कि औरतों को "मस्तूरात" भी कहा जाता है, चुनान्चे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं:

"औरत परदा में रहने वाली चीज़ है, जब वह बाहर निकलती है तो शैतान उसको झांकता है।" (सुनने तिरमिज़ी, हदीस नं0 1173)

मतलब यह कि शैतान मर्दों को इस बात पर उभारता है कि वह उस औरत की तरफ़ तांक झांक करें ताकि वह बदनज़री और दीगर गुनाहों में मुब्तला हों, इस लिए हुक्मे शरअ़ है कि जब औरतें घर से बाहर निकलें तो अपने आपको इस तरह छुपा लें जिससे सिवाए आँख के उनका सारा बदन छुप जाए और देखने वालों को सिर्फ एक मुब्हम सरापा नज़र आये, हत्ता कि पर्दा और सत्र ही को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए इस्लाम ने औरत की नमाज़ का तरीक़ा मर्द से मुख़्तलिफ़ रखा और उसे उसी तरीक़े को अपनाने का हुक्म दिया जिसमें औरत के लिए ज़्यादा सत्र पोशी और पर्दा है।

औरतों पर किन लोगों से पर्दा करना वाजिब है और किन से नहीं? इस सिलसिले में इस्लाम ने मुसलमानों की बड़ी वाज़ेह रहनुमाई फरमाई है, चुनांचे इरशादे रब्बानी है:

"और अपना सिंगार ज़ाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप या शौहरों के बाप या अपने बेटे या शौहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीज़ें जो अपने हाथ की मिल्क हों या नौकर बशर्ते कि शहवत वाले मर्द ना हों या वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों की ख़बर नहीं और ज़मीन पर पावँ ज़ोर से ना रखें कि जाना जाए उनका छुपा हुआ सिंघार और अल्लाह की तरफ़ तौबा करो ऐ मुस्लमानो! सबके सब इस उम्मीद पर कि तुम फ़लाह पाओ।" (सूरए नूर, आयत नं0 31, कनजुल ईमान)

किन लोगों से परदा करना है और किन से नहीं, इस सिलसिले में क़दरे तफ़सील यह है कि सभी ग़ैर महारिम से पर्दा वाजिब है महारिम से नहीं, ग़ैर महरम यानी अजनबी मर्द, जैसे देवर, जेठ, चचा ज़ाद, फुफी ज़ाद, खाला ज़ाद, मामू ज़ाद भाई, और बहनोई वग़ैरह से हर हाल में पर्दा वाजिब है और मज़कूरा मर्दों पर भी लाज़िम है कि वो इन औरतों से पर्दा करें।

जबकि महारिम से पर्दा नहीं, महरम वो है जिससे किसी भी हाल में निकाह नहीं हो सकता महारिम दो तरह के हैं एक महारिमे नसबी और दूसरे महारिमे सहरी, महारिमे नसबी जैसे भाई, बेटा, वालिद, मामू और चचा वग़ैरह से पर्दा नहीं, इसी तरह महारिमे सहरी यानी ससुराली रिश्तेदार से भी पर्दा नहीं, जैसे ससुर यूँ ही रज़ाई महारिम जैसे रज़ाई भाई और रज़ाई वालिद वग़ैरा से पर्दा नहीं, अगर उनसे पर्दा करे तो भी जाइज, ना करे तो भी जाइज़ है, अलबत्ता ज़वानी की हालत में पर्दा करना ही मुनासिब है और अगर फ़ितने का ज़न्ने ग़ालिब हो तो उनसे भी पर्दा करना वाजिब है, दामाद चूँकि ससुराली रिश्ते के ऐतबार से महरम है इस लिये उससे पर्दा करना और ना करना दोनों ही जाइज़ है, अलबत्ता सास के जवान होने की सूरत में पर्दा करना बेहतर है, और अगर फ़ितने का ग़ालिब गुमान हो तो उससे भी पर्दा करना वाजिब होगा।

पीर से भी पर्दा करना वाजिब है

आज कल यह भी देखने में आ रहा है कि औरतें अपने पीर से पर्दा नहीं करतीं और कुछ पीर भी औरतों से पर्दा ज़रूरी नहीं समझते जबकि पर्दे के मामले में हर अजनबी ख्वाह वह पीर हो या ग़ैरे पीर सबका हुक्म यकसां है, अजनबी पीर भी अपनी मुरीदा बिल खुसूस जवान मुरीदा के लिए ग़ैर महरम है और उससे पर्दा वाजिब है, हुज़ूर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं:

> "पर्दा के बाब में पीर व गैर पीर हर अजनबी का हुक्म यक्साँ है जवान औरत को चेहरा खोल कर भी सामने आना मना है।" (फतावा रज़विया, जि0 22/स0 205)

गैर महरम पीर के सामने ना बेपर्दा आना जाईज़, ना उसका हाथ पावँ चूमना जाइज़, अगर कोई पीर बेपर्दा सामने आने को बोले तो उससे साफ़ कह दो: क्या तुम नबीए करीम सल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़े पीर हो गए, जब उन्होंने खुद पर्दा किया और

कराया तो तुम किस खेत की मूली हो? ऐसे पीर से हरगिज़ बैअत ना हों, एक और मकाम पर आला हज़रत यूँ इरशाद फरमाते हैं:

"पर्दा! उसमें उस्ताद व गैरे उस्ताद, आलिम व गैरे आलिम, पीर सब बराबर हैं, नौ बरस से कम की लड़की को पर्दा की हाजत नहीं और जब पन्द्रह बरस की हो, सब गैर महारिम से पर्दा वाजिब और नौ से पन्द्रह तक अगर आसारे बूलूग जाहिर हों तो वाजिब और न ज़ाहिर हों तो मुस्तहब खूसूसन बारह बरस के बाद बहुत मोअक्कद कि यह ज़माना कुर्बे बुलूग व कमाले इश्तिहा का है।" (फतावा रज़विया, जि0 23 / सफा 640)

अंधों से भी पर्दा वाजिब है

औरत के लिए जिस तरह गैर महरम बीना मर्द से पर्दा है, उसी तरह गैर महरम नाबीना मर्द से भी पर्दा वाजिब है, चुनान्चह इमामे अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं:

"अंधे से पर्दा वैसा है जैसा आँख वाले से और उसका घर में जाना, औरत के पास बैठना वैसा ही है जैसा आँख वाले का, हदीस में है, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: क्या तुम भी अंधी हो? क्या तुम इनको नहीं देख रही हो।"

(अहकामे शरीअत, हिस्सा 3, सफा 249)

भावज का देवर से, बहनोई का साली से पर्दा वाजिब

आज कल यह रस्मे बद आम से आम तर होती जा रही है कि भावज अपने सगे देवरों के साथ साथ रिश्ते के देवरों के साथ भी न सिर्फ़ बे पर्दा रहती हैं बल्कि उनसे बेहूदा किस्म की हंसी मज़ाक करती देखी जाती हैं, जबकि भाभियों को अपने देवरों से खूसूसी पर्दा का एहतमाम करना चाहिए, नबीए करीम सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर को भाभी के लिए "मौत" करार दिया है, चुनान्चे इरशाद होता है:

"औरतों में जाने से बचो, इस पर अन्सार में से एक शख्स ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह देवर के बारे में क्या इरशाद है? फरमाया: देवर तो मौत है" (सहीह बुखारी: 2532)

वाज़ेह हो कि "देवर" से मुराद सिर्फ शौहर के सगे छोटे भाई ही नहीं बल्कि इसमें शौहर के बड़े भाई, चचा ज़ाद, मामूँ ज़ाद, खाला और फूफी ज़ाद भाई भी शामिल हैं, इसी तरह यह मोहलिक मर्ज़ भी आम होता जा रहा है कि बहनोई हज़रात ससुराली

खानदान और उनकी रिश्तेदार औरतों, बिल्खूसूस सालियों में शुतरे बे मुहार की तरह दनदनाते फिरते हैं और उनसे अखलाक सोज और भद्दे किस्म की हंसी मज़ाक में मुलव्विस होते हैं जबकि जीजा और साली पर भी एक दूसरे से पर्दा वाजिब है, ऐसा करके दोनों शरई अहकाम की ख़िलाफ़ वर्ज़ी के मुर्तकिब होते हैं और घर के ज़िम्मेदार अफराद उन्हें इस फेले बद से न रोक कर खुद भी गुनहगार होते हैं।

किन किन अज़्व का पर्दा वाजिब है?

इस्लाम ने औरतों की इज़्ज़त व अज़मत और उनकी इफ़्फ़त व इस्मत को महफूज़ रखने के लिए जो मोअस्सिर तदबीरें अपनाई हैं, उनका अस्ल मक़्सद उनको बद क़िमाश क़िस्म के मर्दों की हवसनाक नज़रों का शिकार होने से बचाना है, चूँकि पर्दा गैरत व हमीयत और शर्म व ह्या की अलामत और निस्वानी इफ़्फ़त व अस्मत की मुहाफिज़त का ज़ामिन है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसान को हस्बे नौइय्यत पर्दे का हुक्म फरमाया, क्योंकि अल्लाह मर्द व औरत दोनों का ख़ालिक़ है उसे मालूम है कि इनसानी मोआशिरे को पाकीज़गी के साथ शाह राहे तरक्क़ी पर गामज़न करने कि लिए किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस हद तक ज़रूरत है, किन पाबन्दियों की हाजत है और किस हद तक है।

सत्र और हिजाब में फर्क़

"सत्र" के लुगवी माना छुपाने के हैं और "औरत" के लुगवी माना छुपाने वाली चीज़" के हैं, इस तरह "सत्रे औरत" का माना हुआ "छुपाने वाली चीज़ को छुपाना" और इस्तेलाह शरअ़ में मर्द व औरत के जिस्म का वह हिस्सा है जिसका छुपाना हर एक से वाजिब है सिवाए मियां बीवी के, मर्द व औरत दोनों के सत्र की हद अलग अलग है, चुनान्चे मर्द का सत्र नाफ़ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक है जिसका छुपाना सिवाए बीवी के हर एक से फर्ज़ है और औरत का सत्र मुँह, तलवे और हथेली के अलावा पूरा जिस्म है जिसका छुपाना सिवाए शौहर के महरम और गैर महरम हर एक से फर्ज़ है, हुज़ूर सद्रूश्शरिया फर्माते हैं:

"सत्रे औरत हर हाल में वाजिब है, ख्वाह नमाज़ में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने, बिला किसी गर्ज़े सही के तन्हाई में भी (सत्र) खोलना जाइज़ नहीं और लोगों के सामने

या नमाज़ में तो सत्र बिल इज्माअ फर्ज़ है।"

(बहारे शरीअत, जिल्द 1 /हिस्सा 3/ साफा 35)

"हिजाब" के लुगवी माना "रोकने और रूक जाने" के हैं, इस्तेलाहे शरअ में इसी को "पर्दा" से ताबीर किया जाता है, इसके अलावा दूसरे और भी कई अल्फ़ाज़ जैसे बुर्क़ा, नक़ाब, घूँघट और आड़ वगैरह हैं जो इसी माना में इस्तेमाल होते हैं।

औरत का गैर महरम मर्दों से अपने चेहरे, हथेली और तलवे को छुपाना "पर्दा" या हिजाब कहलाता है और यह पर्दा या हिजाब यानी चेहरा, हथेली और पाँवों के तलवों का छुपाना महरम मर्दों से वाजिब नहीं, जबकि गैर महरम मर्दों से सत्र के साथ साथ पर्दा या हिजाब भी वाजिब है, महरम मर्दों पर वाजिब है कि वह औरत के चेहरा, हाथ और पाँवों के अलावा जिस्म के किसी हिस्से पर नज़र न करें जबकि गैर महरम मर्दों पर वाजिब है कि वह औरत के जिस्म के किसी भी हिस्से पर नज़र न करें।

प्यारी बहनो! मज़हबे इस्लाम की नज़र में तुम्हारी क़द्र व क़ीमत और शान व शौकत हीरे और जवाहरात की तरह है, इसी लिए तुम्हें दस्ते बुर्द से हिफ़ाज़त की ख़ातिर पर्दे में रखा जाता है न कि लोहे, टीने और कंकर व पत्थर की तरह! जिन्हें कहीं भी डाल दिया जाता है, जिनसे जो चाहे खेले, जिन्हें जो चाहे रौंदे, ज़रा याद करो अपने माज़ी को! जब दुनिया के किसी भी गोशे में तुम्हारी कोई औक़ात नहीं थी, दुनिया के किसी भी मज़हब में तुम्हारा कोई मकाम व मर्तबा नहीं था और दुनिया की किसी भी तहज़ीब में तुम्हारे लिए कोई अदना सी भी जगह नहीं थी, तुम्हारा कोई हक नहीं था, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं थी, तुम्हारा कोई ख़्वाब नहीं था, हत्ता कि पैदा होते ही तुम्हें जिन्दा दरगोर कर दिया जाता था और अगर किसी तरह बच भी गई तो तुम खुद अपने वजूद पर एक बोझ बन जाती थीं।

इस्लाम ने तुम्हें एक बेटी की शक्ल अपने माँ बाप के लिए रहमत और परवानए दुखूले जन्नत करार दिया, एक बहन की सूरत में अपने भाईयों के लिए निशाने ग़ैरत व हमीयत बना दिया, एक बीवी की हैसियत से अपने शौहर की मलिका और उसके माल व मता का निगेहबान बना दिया और एक माँ की सूरत में अपने बच्चों के लिए जन्नत करार दे दिया, है तारीख़े आलम में ऐसी कोई

मिसाल? नहीं, नहीं और बिल्कुल नहीं, यह तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का खास्सा है, देखो अल्लाह के प्यारे रसूल, मोहसिने काइनात सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं:

"मोमिनीन में उस शख़्स का ईमान कामिल है जो खुश अख़लाक़ी में मुम्ताज़ हो और तुम में सबसे अच्छा वह शख़्स है जो अपनी औरतों के लिए अच्छा हो।"

(तिरमिज़ी शरीफं, जिल्द 1 सफ़ा 138)

आज कल पर्दा को बोझ समझा जाने लगा है, उसे तरक़्क़ी की दौड़ में रूकावट समझा जा रहा है जबकि पर्दा ख़्वातीन की इज़्ज़त व इस्मत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और उन्हें पूरे वक़ार व एहतराम के साथ मोआशिरे में जीने का हक़ देता है और उन्हें हवस नाक नज़रों से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करता है।

क्या मौजूदा पर्दा षरई तक़ाज़े पूरे करता है?

इस वक़्त हिन्दुस्तान या दीगर मुस्लिम ममालिक में पर्दा की जो मुख़्तलिफ़ सूरतें राइज हैं, अहदे रिसालत में यह सूरतें मौजूद न थीं, अहदे रिसालत की औरतें निहायत ही सादा लिबास पहनती थीं, उनके अन्दर अपने बनाव सिंघार और आराइश व जेबाइश के इज़हार की ख़्वाहिश ज़र्रा बराबर भी न थी, न उनके कपड़े इतने डिज़ाइनदार होते थे, न इतने तंग व चुस्त कि जिस्मानी खुतूत वाजेह हों, इस लिए उस वक़्त महज एक बड़ी चादर से भी पर्दे के सारे तक़ाज़े पूरे हो जाते थे।

फिर रफ़्ता रफ़्ता ये सादगी औरतों में मफ़्कूद होती चली गई और उसकी जगह अपनी बेजा आराइश व ज़ेबाइश और उसकी नुमाइश की हवस ने लेली, ज़र्क बर्क़, तंग व चुस्त और डिज़ाइनर मलबूसात व ज़ेवरात की नुमाइश आम हो गई, ऐसी सूरत में महज़ एक चादर से मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल हो गया, जिसके सबब मुख़्तलिफ़ शक्ल व सूरत और डिज़ाइन के हिजाब, नक़ाब, इबा और बुर्क़े मारिज़े वुजूद में आ गये।

लेकिन बुरा हो मौजूदा कारोबारी ज़ेहनियत का! जिसने माल बेचने और पैसा बटोरने की हिर्स व हवस में जनानी कपड़ों के ऐसे ऐसे डिज़ाइन ईजाद किए, जिसनें औरतों के अन्दर अपनी आराइश व जेबाइश और अपने डिजाइनिज़ कपड़ों की नुमाइश की ख़्वाहिश को दो आतिशा कर दिया, पैसे के हरीस इन कारोबारीयों ने पर्दे की

गरज से वुजूद में आए इस नकाब और बुर्के को भी ऐसा जर्क बर्क और डिजाइनर बना दिया कि उसे इस्तेमाल करने वाली औरतें अब इस बुर्के में भी बे पर्दा नज़र आने लगीं, चुस्त ऐसा कि जिस्म के सारे नशेब व फराज़ वाजेह हो जाएं, बारीक ऐसा कि जिस्म की रंगत तक नज़र आए, जर्क बर्क और डिजाइन ऐसा कि राह चलने वालों को भी ख़्वाही नख्वाही अपनी तरफ़ मुतवज्जह करे।

अफ़सोस का मक़ाम यह है कि आज कल हमारी ज्यादा तर औरतें अव्वलन तो पर्दा करती ही नहीं और जो करती हैं वह यही तंग व चुस्त और जर्क बर्क बुर्का या नक़ाब इस्तेमाल करती हैं जिससे उनके जिस्म के सारे नशेब व फराज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाते हैं और ख़्वाही न ख़्वाही लोगों को दावते नज़्ज़ारा देते हैं, इस तरह पर्दे या हिजाब का अस्ल मक़सद ही फ़ौत हो जाता है, हिजाब, बुर्का या नक़ाब इस क़दर ढीला ढाला होना चाहिए जो सर से पाँवों तक औरत के सारे जिस्मानी नशेब व फराज़ को छुपा सके, उसकी साख़्त ऐसी सादा होना चाहिए कि उसमें मर्दों के लिए कशिश न हो और उसका कपड़ा इतना मोटा होना चाहिए कि जिससे बदन की रंगत ज़र्रा बराबर भी न झलके, वर्ना इस पर्दे को भी मज़ीद एक पर्दा की जरूरत पड़ जाएगी।

पर्दे की सही शक्ल व सूरत

पर्दा जिसे कुरान ने "जलाबीब" के नाम से याद किया है जलाबीब "जिल्बाबुन" की जमा है और "जिलबाब" उस चादर को कहते है जो इतनी बड़ी हो जिससे पूरा बदन ढाँप लिया जाए, अज़्वाजे मोतह्हरात और सहाबियात इस चादर को अपने जिस्म के उपर इस तरह लपेट लिया करती थीं जिससे उनके चेहरे और जिस्म का बेशतर हिस्सा छुप जाया करता था।

याद रखें कि शरीयत का अस्ल मक़सद "पर्दा" है, ख्वाह वह चादर से हासिल हो या मौजूदा बुर्का और नक़ाब से! शरीयत को पर्दे की किसी ख़ास शक्ल व सूरत या डिज़ाइन से कोई बहस नहीं, अल्बत्ता पर्दा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो जिस्मानी नशेब व फराज और उसके खुतूत को बखूबी छुपा सके, जो औरतें मौजूदा बुर्का, हिजाब या नक़ाब के बजाए पर्दे के लिए बड़ी चादर इस्तेमाल करती हैं और पूरे बदन को ढांप लेती हैं, अपने चेहरे को सही मानो में छुपा लेती हैं, वह यक़ीनन पर्दे का हुक्म बजा लाती हैं।

प्यारी बहनो! खुद को पहचानो! तुम इस्लाम की शहज़ादियां हो, तुम खातूने जन्नत हज़रत फातिमातुज़्ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ें हो , तुम्हें तो उनको और उनके किरदार व अमल को अपना आइडियल बनाना चाहिए था, देखो वो क्या फरमा रही हैं:

औरत के हक़ में सबसे बेहतर यह है कि (कोई भी) नामहरम उसे ना देख सके। (फतावा रज़विया क़दीम, जिल्द 9 पेज न0 28)

प्यारी बहनो! शैतान की चाल से हर हाल में बचो, याद रखो शैतान की चाल और गुनाहों से बचने के लिये पर्दा एक बहुत ही मुअस्सिर ज़रिया है आज कल हमारी बहनें जो ग़ैर मुस्लिमों के दामे तज़वीर में फंस कर तबाह व बरबाद हो रही हैं उसका पहला ज़ीना यही बेपर्दगी है, अगर उनका बेपर्दा इख़्तेलात (मेल जोल) इन भेड़ियों से ना होता तो शायद बात आगे ही ना बढ़ती और ना मामला तबाही व बरबादी के दहाने तक पहुँचता, मुआशरे में होने वाली जिनसी ज़ियादती और ज़िना बिलजब्र के रोज़ अफ़ज़ूं वाक़िआत की एक बड़ी वजह यह बेपर्दगी और उरयानियत भी है।

पर्दे का मक़सद

पर्दे का मक़सद यह है कि मर्द व औरत की जानिब से कोई भी ऐसी हरकत वुजूद में आए ही नहीं जो मुआशिरे की पाकीज़गी का गला घोंट दे या उसमें किसी बेराह रवी के इफ़रीत को जन्म दे, जैसे किसी औरत का सरे आम चेहरा और बाल खोल कर घर से बाहर निकलना, जिस्म का ख़द व ख़ाल नुमाया करने वाला लिबास पहन कर निकलना, बजते हुए पाज़ेब पहन कर या तेज़ खुशबू लगा कर बाहर निकलना, यह वो चीज़ें हैं जो आवारा सिफ़त मर्दों को दावते गुनाह देती हैं और उन्हें बदकारियों पर उभारती हैं।

इस्लाम ने ऐसे हर अ़मल पर पहले ही पाबन्दी आइद कर दी है जो मर्दों को उनकी तरफ़ मुतवज्जेह करें, इसी तरह मर्दों को भी हुक्म दिया गया कि वो औरतों की तरफ देखें ही नहीं बल्कि अपनी निगाहें नीची रखें, इससे उनके दिलों में किसी के लिये कोई ग़लत ख़्याल पैदा ही नहीं होगा, चूँकि अल्लाह ने फितरी तौर पर औरत के अन्दर मर्द के लिए और मर्द के अन्दर औरत के लिए कशिश रखी है, इसलिए अल्लाह ने औरतों को पर्दे का और मर्दों को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया, जो अल्लाह की इन हदों को क़ाइम रखेगा वह फलाह पाएगा और जो इन हदों को पार

करेगा वह मुस्तहिके अज़ाब होगा, ज़ाहिर है कि जब दोनों इन हदों की पाबन्दी करेंगे तो बहुत सारी बुराईयां वुजूद पज़ीर ही नहीं होंगी, इस तरह मोआशरा और समाज गुनाहों और बुराईयों से पाक व साफ़ रहेगा।

प्यारी बहनों! याद रखो पर्दा तुम्हारे लिए कोई कैद व बन्द और तुम्हारी आज़ादी पर पाबन्दी का नाम नहीं जैसा कि आज कल नाम निहाद आजादिए निस्वां के दावेदार प्रोपैगेंडा कर रहे हैं बल्कि यह हवसनाक मर्दों की नज़रों से तुम्हारी हिफ़ाज़त का एक मज़बूत हिसार है जो तुम्हारी इज़्ज़त व आबरू और इफ़्फ़त व इस्मत की मुहाफ़िज़त को यक़ीनी बनाता है, तुम इस मज़बूत हिसार के साथ हर जाइज़ काम कर सकती हो।

याद रखो! अल्लाह ने तुम्हें मर्दों से ज़्यादा क़ीमती, और खूबसूरत और नाजुक बनाया है, इसीलिए तुम्हारी हिफ़ाज़त की फिक्र भी मर्दों से ज़्यादा है, देखो! हीरा क़ीमती भी है, नाजुक और खूबसूरत भी, इसीलिए तो उसे कई कई हिफाज़ती हिसार में रखा जाता है, कभी सुना है? किसी ने यह आवाज उठाई हो कि सोने, चांदी और हीरे को क्यों इतने पर्दे और हिसार में रखा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं! क्योंकि वह बखूबी जानता है, लोग डंडों से उसकी खबर लेकर भगा देंगे और कहेंगे: अरे बद ख्वाह! भला कौन ऐसा नादान और बेवकूफ होगा जो इन कीमती, नाजुक और खूबसूरत चीजों को बे पर्दा और बे हिफ़ाजत रखेगा, तू ज़रूर कोई चोर या डाकू मालूम होता है, तेरी नियत खराब है इन क़ीमती चीजों पर।

इद्दत के लिए पर्दे का कोई अलग हुक्म नहीं

बाज़ लोग बर बिनाए जिहालत यह समझते हैं कि इद्दत में पर्दा के लिए कोई ख़ास हुक्म है या सिर्फ़ इद्दत वाली औरतों पर ही पर्दा वाजिब है, वह सख़्त ग़ल्ती पर हैं, दर अस्ल शरीअत में औरत के लिए जिन मर्दों से पर्दा करने का हुक्म है, उनसे हर हाल में पर्दा वाजिब है, ख़्वाह औरत इद्दत में हो या न हो और जिन मर्दों से पर्दा का हुक्म नहीं, उनसे इद्दत में भी पर्दा नहीं है।

शरीअते मुकद्दसा में आसमान से पर्दे का कोई तसव्वुर नहीं, लिहाज़ा इद्दत में और अपने घर की चहार दीवारी में रहते हुए मकान के खुले हिस्से यानी सेहन वगैरह में आ जा सकती है और आसमान को भी देख सकती है।

गैर महरम मर्दों से चूड़ी पहनना या मेंहदी लगवाना जाइज़ नहीं

आज कल औरतें और जवान लड़कियां गैर महरम मर्दों के हाथ में हाथ देकर उनसे चूड़ियां पहनती हैं, उनकी रान पे हाथ रख कर मेहंदी लगवाती हैं, जो सरासर नाजाइज़ व हराम है, इस सिलसिले में आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं:

"हराम हराम हराम है, हाथ दिखाना गैर मर्द को हराम है, उसके हाथ में हाथ देना हराम है जो मर्द अपनी औरतों के साथ इसे रवा रखते हैं, दय्यूस हैं।" (फतावा रज़विया जदीद, जिल्द 22, सफा 247)

औरतों का गैर महरम मर्दों से फोन पर बात करना जाइज़ नहीं

अव्वलन तो औरतें मोबाइल या फोन पर गैर महरम मर्दों से बात ही न करें और अगर बात करनी ही पड़ जाए तो उनका लहजा दो टूक और सपाट होना चाहिए, आवाज में हरगिज़ किसी क़िस्म की कोई लचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि औरत की आवाज भी "औरत" है, चूँकि मर्द के नफ्स को भड़काने में गैर महरम औरत की आवाज भी एक अहम रोल अदा करती है, इसीलिए शरीअते मुतह्हरा ने औरत को बआवाज़े बलन्द कुछ पढ़नें की भी इजाज़त नहीं दी, चुनान्चे हुज़ूर आलाहज़रत तहरीर फरमाते हैं:

"औरत का खुशइलहानी से ब-आवाज़ पढ़ना कि नामहरमों को उसके नग़मा की आवाज़ जाए हराम है, नवाज़िल में फकीह अबुल्लैस में है: "औरत का खुश आवाज़ करके पढ़ना "औरत" यानी महल्ले सत्र है, काफी इमाम अबुलबरकात निसफ़ी में है: औरत बलन्द आवाज से तलबीहा न पढ़े इसलिए कि उसकी आवाज़ क़ाबिले सत्र है, इमाम अबुल अब्बास क़र्तबी की किताबुस्सिमाअ फिर बहावाला अल्लामा अली मुकद्दसी इम्दादुल फत्ताह अल्लामा शर्मबुलाली फिर रद्दुल मुहतार अल्लामा शामी में है: "औरतों को अपनी आवाजें बलन्द करना उन्हें लम्बा और दराज़ करना उनमें नरम लेहजा इख्तियार करना और उनमें तकती करना (यानी काट काट कर तहलीले उरूज के मुताबिक़) अश्आर की तरह आवाज़ें निकालना, हम इन सब कामों की औरतों को इजाज़त नहीं देते इसलिए कि इन सब बातों में मर्दों का उनकी तरफ माइल होना पाया जाएगा और इन मर्दों में जज़्बाते शहवानी की तहरीक पैदा होगी इस वजह से औरत को यह इजाज़त

नहीं कि वह अज़ान दे।" (फतावा रजविया, जिल्द 23/ साफा 242, 243)

औरतों का मज़ारात पे जाना बाइसे लानत है

औरतों के लिये मज़ाराते औलिया और आम क़बरों पर जाना जाइज़ नहीं, लिहाज़ा औरतों का मज़ारों पर जाना बाइसे सवाब नहीं बल्कि लानत का बाइस है, चुनान्चे इस सिलसिले में हुज़ूर आला हज़रत से सवाल हुआ कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब के मज़ार पर औरतों का जाना जाइज़ है या नहीं? इरशाद फरमाया:

"यह ना पूछो कि औरतों का मज़ारात पर जाना जाइज़ है या नहीं? बल्कि यह पूछो कि उस औरत पर किस क़दर लानत होती है, अल्लाह तआला की तरफ़ से और किस क़दर साहिबे क़बर की तरफ से, जिस वक़्त घर से इरादा करती है, लानत शुरू हो जाती है और जब तक घर वापस आती है, मलाइका लानत करते रहते हैं, सिवाये रौज़ए अनवर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के (औरत को) किसी मज़ार पर जाने की इजाज़त नहीं।" (अल मल्फूज़, हिस्सा 2, सफा 107)

मज़ारात पर औरतों की हाज़िरी नाजाइज़ व गुनाह होने के लिये यही वजह काफ़ी है कि वहाँ अजनबी मर्दों का हुजूम होता है, मर्द व औरत का बाहम इख़्तिलात होता है, एक दूसरे का बदन आपस में मस होता है, आरतों को चाहिये कि अल्लाह का खौफ़ रखते हुये शरीअते मुतह्हरा की पैरवी के लिये घर पर रहें और यहीं से फातिहा पढ़ कर ईसाले सवाब करें, औलिया अल्लाह का फैज़ान भी मिलेगा और अल्लाह की बारगाह से अजर व सवाब की भी हक़दार होंगी।

अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीबे पाक सहिबे लौलाक स़ल्लल्लाहो तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े ख़वातीने इस्लाम को दीगर शरई अहकाम के साथ साथ इस्लामी पर्दे का भी मुकम्मल पाबन्द बनाए, उम्महातुल मोमिनीन और हज़रत खातूने जन्नत के नक़्शे क़दम पर चलने की तौफीक़े रफीक़ अता फरमाए, आमीन।